

प्रधानमंत्री/प्रबन्धक
एचीडीसी होने पायिक रक्षा,
लक्ष्मण रोड, जागरीतपुर, जामूर दृश्यमान।

देवय, जननियानन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Annual Clearance के सम्बन्ध में

कृपया आपके आवदेन यूनिक.नम्बर—74982684, दिनांक: 21.08.2021 जी कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के देख पैम पर प्राची दुमा है, के अनुत्तर अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण द्वारा लाघु स्टेशन लड़कों द्वारा किया गया। प्रभारी फायर स्टेशन लड़कों की निरीक्षण अग्नि, के अनुत्तर अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी। समक्ष अग्निशमन चन्द्र वार्षीय दशा में है तथा नवीनीकरण जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को संदैव कार्यशील दशा में रखें। प्रबन्धक दर्श इस कार्यालय से अग्निशमन चन्द्रों का परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र त्वरतः ही निरस्त समझ जाएगा।

अतः आपके संस्थान के प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक: 03 जुलाई 2021 से 02 जुलाई 2022 तक इस आधार पर प्रदान किया जाएगा है कि निन शर्तों का पालन किया जाए।

1. सभी बाहर निकलने वा बचाव के दार्त्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध छुक्त रखें जाए।
2. शिक्षण संस्थान के सभी शिक्षक/कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन चन्द्रों का तथा सुशहित निकालण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन चन्द्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन चन्द्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं तो सकती है। अतः प्रबन्धन को अग्निनियोगक उपाय संदैव कराते रहता थाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत चन्द्रों की स्थापना, बैटरीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेगिलिटी, सेट डेक इत्या व नियांग Land Use Change में बदलाव आदि का स्थापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. विकास संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
6. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध नियांग को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
7. अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की प्रति जागरूकता के सम्बन्ध में समय-समय पर नोक ड्रिल का आयोजन किया जाए, जिससे विकास संस्थान में उपलब्ध अग्नि-नियोगक व्यवस्थाओं पर विश्वास बना रहे।
8. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार संदैव अद्यतन (Update) रिक्ति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।

*Sanjay
Malviya*
President
Man Mohan Singh Anuwalkar
Education Society (Regd.)
Lakshmi Road, Jajpur (Haridwar)

प्रतिलिपि: प्रभारी कार्यालय द्वारा को सूचनाथे एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संस्थान में अग्निशमन व्यवस्था अनुसार पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही समय-समय पर अमल में लाना।

(नरेन्द्र सिंह कुमार)
गुरुद्वारा अग्निशमन अधिकारी
हरिदwar।

*Dr. Sayan Sarker
Principal
Achievers Home Public School
Jajpur, Haridwar -249408 (U.K.)*